

सहायक कलेक्टर
(SDO) सिवाना

06/04/18 प्राकृष्टी धाज फेश डुई) दोनो पक्षो रे
पक्षील अस्थित । प्राणीगत छ प्राथमा फरा
अस्वीकार कर खरिज क्रिया जानाई । किन्तु
आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले
शाखालय में सुनाया जाकर शामिल प्राकृष्टी
क्रिया गया । प्राकृष्टी इसल सुमार होकर
मूल पाद रे साथ नही ल)


सहायक कलेक्टर
(SDO) सिवाना